भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3727

उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

घुमंतू जातियों की आबादी

3727. श्री अमरा राम:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में घुमंतू जातियों की आबादी का ब्यौरा क्या है और घुमंतू जातियों के रूप में चिह्नित की गई जातियों के नाम क्या हैं;

(ख) आवास, शिक्षा, रोजगार सहित उनके विकास के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों और उनके कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जातियों में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की जातियों के ब्यौरे क्या हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): जनगणना में विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए कोई अलग डेटा एकत्रित नहीं किया जाता है।

(ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जनवरी 2015 में राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग का गठन किया था, जिसने दिसंबर 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय विकास एवं कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) का गठन किया था। डीडब्ल्यूबीडीएनसी विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके निम्नलिखित घटक हैं:

i. डीएनटी उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली कोचिंग प्रदान करना;
ii. डीएनटी समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।
iii. सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को आसान बनाना और
iv. इन समुदायों के सदस्यों के लिए घर बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ग): ऊपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

*****